रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2007

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-10-1/2006/9.—छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने खेल के क्षेत्र में, विशेषकर तीरंदाजी खेल (आरचरी) में राज्य के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करके राज्य का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से "महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान" देने का निर्णय लिया है, तथा समसंख्यक क्रमांक दिनांक 24 अक्टूबर 2006 से इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु नियम की अधिसूचना जारी की गई है. उक्त नियम में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-3/2005/1/5, दिनांक 17 अप्रैल 2007 के निर्देशानुसार संशोधन कर इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाए जाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम**—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान नियम-2007" है.

(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा**— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "विभाग" से तात्पर्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ से है.

(2) "संचालनालय" से तात्पर्य संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ से है.

(3) "राष्ट्रीय खेल संघ" से तात्पर्य राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल का आयोजन करने हेतु युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार या भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त संस्था से है. यदि भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारत सरकार द्वारा एक ही खेल विधा के लिए अलग-अलग संघों को मान्यता प्रदान की गई हो तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से है.

(4) "राज्य खेल संघों" से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल संघ की संलग्नता प्राप्त राज्य इकाई से है.

(5) "अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता" से तात्पर्य ओलम्पिक, एशियाड, विश्व चैम्पियनशिप, विश्वकप, एशियन चैम्पियनशिप एवं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें भारतीय दल के भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गयी हो, से है.

(6) "राष्ट्रीय चैम्पियनशिप" से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है, जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राष्ट्रीय विजेता कहलाता है.

(7) "विगत वर्ष" से तात्पर्य जिस वित्तीय वर्ष के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, उसके पूर्व का वित्तीय वर्ष.

(8) "उपलब्धि वर्ष" से तात्पर्य विगत वर्ष से है.

(9) "सम्मान वर्ष" से तात्पर्य जिस वित्तीय वर्ष के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, से है.

3. **सम्मान का स्वरूप** — महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्रतिवर्ष एक खिलाड़ी को दिया जा सकेगा. प्रत्येक अलंकरण में राशि रुपए एक लाख नगद, अलंकरण फलक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन** —

(1) विभाग द्वारा एक निर्णायक मंडल (जूरी) का गठन किया जाएगा, जो सामान्यतः पांच सदस्यीय होगी.

(2) निर्णायक मंडल के वे सदस्य इस सम्मान से संबंधित निर्णयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे जिनके परिवारजनों ने इस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत की हैं.

5. **निर्णायक मंडल (जूरी) की शक्तियां —**

(1) निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) निर्णायक मंडल की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक खिलाड़ी का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किए जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया —** सम्मान के लिए चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक खेल एवं युवा कल्याण द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा तथा प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जाएंगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि संचालक खेल एवं युवा कल्याण को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी. निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-अ में संलग्न हैं.

(3) संबंधित राज्य खेल संघ खिलाड़ियों के नामों की अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र में अग्रेषित कर सकेंगे.

(4) संचालनालय एवं विभाग को खिलाड़ियों से सीधे आवेदन प्राप्त करने का अधिकार होगा.

(5) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(6) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा की संबंधित खिलाड़ी दोबारा इस सम्मान हेतु विचारणीय नहीं हैं.

(7) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(8) प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

(9) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संबंधित "सम्मान वर्ष पंजी" में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जाएगा.

क्र.	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

छत्तीसगढ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23/10/07

क्रमांक / एफ–10–1 / 2006 / 9 / छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा समसंख्यक क्रमांक, दिनांक 22 / 09 / 2007 से महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान नियम 2007 की अधिसूचना जारी की गई है । उक्त नियम में निम्नांकित संशोधन किया जाता है ।

1. नियम 7 के उपनियम (1) ~~को~~ स्थान पर निम्नांकित पढ़ा जाए ।

(1) महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान ऐसे पात्र खिलाड़ी को दिया जाएगा जिसने विगत वर्ष तीरंदाजी की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (सीनीयर वर्ग) या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेते हुए स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो या अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो ।

यदि तीरंदाजी में उपरोक्त उपलब्धि वाले खिलाड़ी नहीं मिले तो, इस नियम के जारी होने वाले वर्ष को सम्मिलित करते हुए तीन वर्षो तक तीरंदाजी की राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता या राष्ट्रीय अंतरविश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ी को यह सम्मान देने हेतु चयन के लिए विचार में लिया जाएगा ।

यदि तीरंदाजी में उपरोक्त उपलब्धियों वाले खिलाड़ी किसी वर्ष में नहीं मिले तो उस वर्ष अन्य ऐसे खेल, जिन्हें भारत सरकार युवा कार्य और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर के खेल अलंकरण हेतु विचार क्षेत्र में लेता है, के खिलाड़ियों को, जिन्होंने विगत वर्ष की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (सीनीयर वर्ग) या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेते हुए स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, इस सम्मान हेतु चयन के लिए विचार में लिए जा सकेंगे ।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)
अमृता बैक
उपसचिव
खेल एवं युवा कल्याण विभाग

(10) पंजीयन के पश्चात् संचालक खेल एवं युवा कल्याण के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार कराई जाएगी जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा.

क्र.	व्यक्ति का नाम/पता एवं प्रस्तावक	"सम्मान" विषयक उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा	प्राप्त पुरस्कार/सम्मान	सम्मान ग्रहण करने बाबत सहमति है/नहीं है	अभियुक्ति

7. **चयन के मापदंड —**

(1) महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान ऐसे पात्र खिलाड़ी को दिया जाएगा जिसने विगत वर्ष, तीरंदाजी की, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (सीनियर वर्ग) या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेते हुए स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो या तीरंदाजी की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो यदि तीरंदाजी में उपरोक्त उपलब्धियों वाले खिलाड़ी किसी वर्ष में नहीं मिले तो उस वर्ष अन्य ऐसे खेल, जिन्हें भारत सरकार युवा कार्य और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर के खेल अलंकरण हेतु विचार क्षेत्र में लेता है, के खिलाड़ियों को, जिन्होंने उपरोक्तानुसार उपलब्धि प्राप्त की है सम्मान हेतु चयन के लिए विचार में लिए जाएंगे.

(2) यह सम्मान पुरुष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ियों के लिए सम्मिलित रूप से होगा अर्थात् उपलब्धियों की तुलना सम्मिलित रूप से की जाएगी.

(3) इस सम्मान के लिए उन खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययनरत है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय/अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में निरंतर कार्यरत है.

(4) सम्मान हेतु वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी.

(5) यदि चयन समिति की राय में किसी विशेष वर्ष में इस सम्मान को पाने योग्य प्रदर्शन नहीं होता है तो उस वर्ष सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है.

(6) यह सम्मान विभाग के अन्य खेल पुरस्कारों के अलावा होगा जो खिलाड़ी को उसकी उपलब्धियों के लिए दिया गया है. लेकिन तीरंदाजी में गुण्डाधूर सम्मान से अलंकृत खिलाड़ी इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

(7) यह सम्मान किसी खिलाड़ी को उसके जीवन काल में केवल एक बार ही दिया जाएगा.

(8) यदि किसी खिलाड़ी या दल को उपलब्धि वर्ष या सम्मान वर्ष में मान्यता प्राप्त खेल संगठन द्वारा राज्य या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से निष्कासित किया गया हो तो उसे संबंधित वर्ष के लिए यह सम्मान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

(9) सम्मान हेतु प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार का दबाव लाया जाना प्रविष्टि के लिए अनर्हता मानी जाएगी.

(10) ऐसा माना जाएगा कि जिस खिलाड़ी की प्रविष्टि उसके स्वयं के द्वारा या अन्य किसी स्रोत से सम्मान हेतु प्राप्त हुई है, उस खिलाड़ी ने इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है.

(11) प्रथम दृष्टि में उपयुक्त होते हुए भी विभाग संबंधित खिलाड़ी की प्रविष्टि पर विचार करने के लिए उस खिलाड़ी को खेल उपलब्धियों की आगे जांच पड़ताल और खोजबीन करने का अधिकार अपने पास रखता है.

(12) सम्मान के निर्णयन हेतु जहां आवश्यक हो निम्नांकित प्राथमिकता क्रम होगा :—

- क. क्रमशः ओलम्पिक, विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप, एशियाड राष्ट्रमण्डलीय खेलों में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक/भागीदारी.
- ख. व्यक्तिगत खेलों में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक.
- ग. व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक.
- घ. व्यक्तिगत खेल में अन्य अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी.
- ङ. दलीय खेलों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक/भागीदारी.
- च. दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक.
- छ. व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रजत पदक.
- ज. दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रजत पदक.
- झ. व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कांस्य पदक.
- ण. दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कांस्य पदक.
- ट. व्यक्तिगत एवं दलीय खेल के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्राप्त पदक हेतु उपरोक्त में जो क्रम निर्धारित है, उसी क्रम से राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त पदक.

8. **सम्मान की घोषणा —**

(1) निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संचालक खेल एवं युवा कल्याण के माध्यम से विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा विभाग द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

(2) यह सम्मान उस स्थिति में रद्द किया जा सकता है, जिसमें यह पाया जाए कि यह धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है अथवा इसको विलोपित करने या वापिस लेने के लिए पर्याप्त वैध कारण मौजूद है. यह कि सम्मान प्राप्तकर्ता ने सम्मान प्राप्त करने तिथि के पश्चात् सही आचरण नहीं किया है. यह निर्णय विभाग द्वारा लिया जा सकेगा.

(3) सम्मान का विलोपन करने/रद्द करने, वापिस लेने की स्थिति में एक साधारण अधिसूचना विभाग द्वारा उचित रूप से निकाली जाएगी और यह पर्याप्त होगी परंतु सम्मान के एक भाग के रूप में दिया गया नगद पुरस्कार प्राप्तकर्ता या उसके उत्तराधिकारी से न तो वापिस मांगा जाएगा और न ही वापिस करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाएगा.

(4) यह विलोपन/रद्द के विरुद्ध कोई आपत्ति या अपील स्वीकार नहीं की जायेगी. शासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

9. **अलंकरण समारोह —**

(1) सम्मान का अलंकरण समारोह राज्य उत्सव के अवसर पर संस्कृति संचालनालय द्वारा आयोजित होगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ी को आमंत्रित किया जाएगा. विशेष परिस्थितियों में चयनित खिलाड़ी अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे जिनको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी.

(2) सम्मान ग्राहियों को राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा. उनके लिए अलंकरण समारोह के अवसर पर आवास, भोजन, स्थानीय यातायात की व्यवस्था की जायेगी.

10. **व्यय की सम्पूर्ति** — सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन —**

(1) राज्य शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग को इन नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा.

(2) इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जाएगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है के निराकरण का अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन —**

(1) प्राप्त प्रविष्टियां एवं चयनित खिलाड़ी का रिकार्ड एक अलग-अलग जिल्द में संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण द्वारा संधारित किया जावेगा.

(2) संचालनालय संस्कृति द्वारा चयनित व्यक्ति के खेल उपलब्धियों के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जाएगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्ति के विवरण आदि का समावेश होगा.

13. **निरसन** — इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने कें ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं. परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

परिशिष्ट-अ

संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़

खेल भवन, रायपुर

(अपूर्ण अनुशंसा पत्र में विचार नहीं किया जाएगा)

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय : महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान वर्ष .... हेतु.

1. खेल का नाम– ....

2. खिलाड़ी/खिलाड़ियों का विवरण

क्र.	खिलाड़ी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	दूरभाष क्रमांक	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

नोट :- राज्य खेल संघों के लिए

अ. व्यक्तिगत खेल के लिए केवल दो खिलाड़ी के नाम का लेख करें.

ब. दलीय खेलों इवेंट के लिए यदि राष्ट्रीय पदक विजेता का नाम अग्रेषित किया जा रहा हो तो पदक विजेता दल के सभी खिलाड़ियों (प्रशिक्षक एवं मैनेजर को छोड़कर) के नाम अग्रेषित करें.

स. दलीय खेलों के लिए यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के आधार पर नाम अग्रेषित किया जा रहा हो तो उन सभी खिलाड़ियों के नाम अग्रेषित करें जिन्होंने एक साथ उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है.

द. खेल संघ केवल एक आवेदन पत्र ही अग्रेषित करें. व्यक्तिगत खेल के दो खिलाड़ी या दलीय खेलों के दो दलों के खिलाड़ी या एक व्यक्तिगत इवेंट एवं एक टीम इवेंट के खिलाड़ियों के नाम अग्रेषित किए जा सकते हैं.

3. सीनियर वर्ग राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का विवरण जिसमें खिलाड़ी/खिलाड़ियों को पदक प्राप्त हुआ है. (प्रमाण पत्र संलग्न करें.).

वर्ष	सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का पूरा नाम जिसमें पदक प्राप्त हुआ है	आयोजन स्थल का नाम एवं पूर्ण पता (स्टेडियम, शहर, राज्य)	आयोजन तिथि	प्राप्त पदक

4. अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का विवरण जिसमें खिलाड़ी ने भाग लिया है.
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

वर्ष	सीनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का पूरा नाम	आयोजन स्थल का नाम एवं पूर्ण पता (स्टेडियम, शहर, राज्य)	आयोजन तिथि	प्राप्त पदक

5. क्या संबंधित खिलाड़ियों को राज्य शासन द्वारा किसी अन्य खेल पुरस्कार से अलंकृत किया गया है. यदि हां तो कृपया विवरण दें. ....

6. क्या संबंधित खिलाड़ियों ने इस वर्ष के गुण्डाधूर सम्मान हेतु प्रविष्टि प्रस्तुत की है- हां/नहीं

7. खिलाड़ी/खिलाड़ियों की अन्य उपलब्धियों की जानकारी सादे कागज में लेख कर पृथक से प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ संलग्न किया जाए.

8. क्या खिलाड़ी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है- हां/नहीं

9. क्या खिलाड़ी विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में छत्तीसगढ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्यनरत है- हां/नहीं

10. क्या खिलाड़ी विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय/अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में निरंतर कार्यरत है.

घोषणा-पत्र

मैं/हम घोषणा करता/करती/करते हूं/हैं कि .... (जो लागू न हो उसे काट देवें)

अ. प्रपत्र में उल्लेखित खिलाड़ी/खिलाड़ियों को विगत वर्ष या इस वर्ष आज दिनांक तक संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता से निष्काषित नहीं किया गया है.

ब. प्रपत्र में उल्लेखित खिलाड़ी/खिलाड़ियों ने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों को पढ़ लिया है एवं इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है.

स. यदि मेरा/हमारा चयन महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त करने हेतु किया जाता है तो मैं/हम इस सम्मान को प्राप्त करने हेतु सहमत हैं.

द. उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है. उपरोक्त जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में यह आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं/हम विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी/रहेंगे.

क्र.	खिलाड़ियों का नाम	डाक टिकट साईज फोटो	खिलाड़ियों के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

सचिव

राज्य खेल संघ

छत्तीसगढ़

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.